

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक :- एफ.4(ई) जे-10/2023/अलेसे-III/ 965

दिनांक :- 01.07.2025

कार्यालय आदेश

सुश्री ज्योति शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 713976) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, करौली को कोषाधिकारी, करौली के पत्र दिनांक 30.04.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 12.05.2025 से 10.06.2025 तक (कुल 30 दिवस) (अध्ययन हेतु)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री ज्योति शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 713976) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार (असाधारण अवकाश अवधि तक) अभिवृद्धि की जावेगी।


(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 01.07.2025

क्रमांक :- एफ.4(ई) जे-10/2023/अलेसे-III/ 965

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, करौली।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. सुश्री ज्योति शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 713976) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, करौली।
4. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)